

सार्वजनिक सूचना

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय, आबादी भूमि आबंटन विनियमावली 2010 व प्राधिकरण बोर्ड की 70वीं बोर्ड बैठक में संशोधित नियमावली के बिन्दु संख्या 5.5 के क्रम में ग्राम पचोकरा, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर में बैनामे से कय भूमि के सापेक्ष 07 प्रतिशत आबादी भूमि आबंटित किये जाने हेतु पात्र व्यक्तियों की अनन्तिम सूची तैयार कर निम्न स्थानों पर सार्वजनिक सूचना हेतु प्रदर्शित की गई है।

1. नोटिस बोर्ड, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, पी-2, ओमगा-1, ग्रेटर नोएडा।
2. नोटिस बोर्ड भूलेख विभाग, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
3. सामुदायिक केन्द्र भवन/प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन, ग्राम पचोकरा।
4. प्राधिकरण की वैबसाइट पर।

आबादी विनियमावली के बिन्दु संख्या 5.5 के अनुसार परीक्षित सूची में वर्णित किसी विवरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित आपत्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिनों के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

87.18.08.2024

विशेष कार्याधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।